छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ०ग०) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–49 / रेरा / 2020 / 1031 रायपुर, दिनाँक 01 / 10 / 2020

/ / परिपत्र / /

विषय :– वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2018–19 प्रस्तुत करने पर विलंब शुल्क भुगतान करने के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–46 / रेरा / 2020 / 798, रायपुर, दिनाँक 29 / 07 / 2020 एवं परिपत्र क्रमांक–47 / रेरा / 2020 / 857, रायपुर, दिनाँक 19 / 08 / 2020 ।

––00––

प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2018–19 प्रस्तुत करने में हुये विलंब हेतु परिपत्र क्रमांक–34 / रेरा / 2019 / 2658 दिनाँक 26.11.2019 के माध्यम से अधिरोपित विलंब शुल्क रूपये 500 / – प्रति दिवस के भुगतान में लॉकडाउन घोषित होने की दिनाँक 25.03.2020 से दिनाँक 30.09.2020 तक छूट प्रदान की गई थी। किन्तु विभिन्न माध्यमों से प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कोविड–19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में दिनाँक 21.09.2020 से 30.09.2020 तक लॉकडाउन घोषित किये जाने के कारण तथा दिनाँक 22.09.2020 से 28.09.2020 तक छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय बंद होने के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नियमित कार्यालयीन कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होने से वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2018–19 प्रस्तुत करने में समस्या हुई है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा विलंब शुल्क के भुगतान में छूट की समयावधि में वृद्धि करते हुये परिपत्र क्रमांक–46 एवं 47 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2018–19 के विलंब शुल्क के भुगतान में छूट दिनाँक 30.09.2020 के स्थान पर 30.11.2020 तक की जाती है। उक्त तिथि पश्चात् अपडेशन की स्थिति में पूर्वानुसार प्रति दिवस विलंब शुल्क यथावत देय होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर.